राँची से 345 किलोमीटर दूर देवगढ़ स्थित बैद्यनाथ धाम के मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए कतारबद्ध श्रद्धालु। यहाँ इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है।

जौहरी तथा पांडे को तलब किया सीबीआई ने

अहमदाबाद, 29 जुलाई-(भाषा) जाँच प्रक्रिया को कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा प्रभावित करने की कोशिश संबंधी आरोपों के बीच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने आज वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गीता जौहरी और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी सी पांडे को पूछताछ के लिये सम्मन जारी किये।

उधर, मामले में आज दूसरे दिन भी ब्यूरो के अधिकारियों ने साबरमती सेण्ट्रल जेल के भीतर पूर्व गृह राज्य-मंत्री अमित शाह से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि सनसनीखेज मामले के एक प्रमुख अभियुक्त शाह जाँच कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके वकील ने अदालत को इस आशय का आश्वासन दिया था।

जौहरी को दस अगस्त को ब्यूरो के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सन 2005 में सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने और उसकी पत्नी की हत्या से संबंधित मामले में जौहरी जाँच अधिकारी थी।

जौहरी इस समय राजकोट में पुलिस आयुक्त हैं। फिलहाल वह ब्रिटेन में हैं और छह अगस्त को उनके लौटने की संभावना है। सीबीआई पहले ही इस मामले में दो बार जौहरी से पूछताछ कर चुकी है। उसने कल पांडे को तलब किया था और उनसे 11 अगस्त को पेश होने को कहा। उन्हें पहली बार पूछताछ के लिये बुलाया गया है।

मुठभेड़ मामले की जब राज्य सीआईडी ने जाँच की थी, उस वक्त पांडे पुलिस महानिदेशक थे। मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करते समय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात पुलिस को इस बात के लिये आड़े हाथ लिया था कि वह निष्पक्ष जाँच करने में विफल रही और वह मामले में विरोधाभाषी कार्रवाई रिपोर्ट पेश कर न्यायालय को 'गुमराह' कर रही है।

उसने यह भी कहा था कि जाँच अधिकारियों में एक वी.एल. सोलंकी जहाँ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहीं जौहरी सही ढंग से जाँच नहीं कर रही हैं। न्यायालय ने 12 जनवरी के अपने आदेश में कहा था जौहरी ने सोलंकी की दूसरी रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया और उसे इस अदालत को प्रेषित नहीं किया गया। उसने कहा कि जौहरी सोहराबुद्दीन के आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कर रही हैं और सोहराबुद्दीन से जुड़े अभियुक्त अधिकारियों के बीच चर्चा जाँच को उलझाने की कोशिश है।

इस बीच, सोहराबुददीन फर्जी मुठभेड मामले में गुजरात के पूर्व गृह राज्य-मंत्री अमित शाह से सीबीआई की पूछताछ में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम आने के बारे में सरकार ने आज कोई टिप्पणी नहीं की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'किसी भी लोकतंत्र के लिए यह मुद्दा संकटपूर्ण है, इसलिए कोई भी बात या कार्य अत्यधिक सतर्कता से करना चाहिए। हमें कानून से ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की निगरानी सर्वोच्च है। सार्वजनिक जीवन में होने के नाते हम इस तरह के मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।'

तीन साल में माओवादी समस्या से निपट लेंगे : चिदंबरम

नई दिल्ली, 29 जुलाई-(भाषा) सरकार ने आज विश्वास जताया कि वह अगले तीन साल में नक्सल समस्या से निपटने में सफल होगी और इसके लिए उसने प्रभावित इलाकों में विकास के साथ साथ पुलिस कार्रवाई की दो स्तरीय नीति तैयार की है।

गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में गृह-मंत्री पी. चिदंबरम ने विश्वास जताया कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर वामपंथी उग्रवाद की चुनौती का मुकाबला कर लेंगे।

उन्होंने कहा, 'सरकार को यकीन है कि माओवादी समस्या से अगले तीन साल में निपट लिया जाएगा।' चिदंबरम ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों से सलाह मशविरे के बाद तय किया गया है कि माओवादी मुद्दे से निपटने के लिए दो स्तरीय नीति अपनायी जाएगी। प्रभावित इलाकों में विकास और पुलिस कार्रवाई।

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था कायम करना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन माओवादियों से निपटने के लिए राज्यों को मदद की अपनी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार समझती है।

गृह-मंत्री ने कहा कि केन्द्र राज्यों को अर्धसैनिक बल मुहैया कराकर, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से और विकास योजनाओं तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के वित्तपोषण के जरिए मदद कर रहा है।

चिदंबरम ने सांसदों से कहा कि नक्सल प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक 14 जुलाई को हुई थी, जिसमें तय किया गया है कि चार राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ और झारखंड में नक्सल रोधी कार्रवाई के लिए एकीकृत कमान बनायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इन राज्यों को लाजिस्टिक समर्थन के रूप में अतिरिक्त हेलीकॉप्टर, वित्तीय सहायता और 400 पुलिस थानों के आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में मदद करेगी।

योजना आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह बनाने का भी फैसला किया गया है, ताकि विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा सके।

लश्कर जैसे संगठन स्वीकार्य नहीं - कैमरन

नई दिल्ली, 29 जुलाई-(भाषा) पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया से बेपरवाह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज कहा कि पाकिस्तानी सरजमीं पर लश्कर-ए-तोइबा जैसे आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है और भारत में आतंकवाद की समाप्ति के लिये इस्लामाबाद को अवश्य ही इनका सफाया करना चाहिए।

कैमरन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन विचारों पर सहमति जताई, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद को खत्म करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को पूरा कराने के लिये इस्लामाबाद पर दबाव डालने को कहा है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा जैसी ही गंभीरता दिखाने की माँग की है। सिंह और कैमरन ने अपनी व्यापक वार्ता के बाद पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद पर चिंता जताई। इस वार्ता के दौरान दोनों लोगों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा अफगानिस्तान सहित क्षेत्र के हालात की समीक्षा की।

वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कैमरन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद ने क्षेत्र और विश्व के लिये सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है और इसका औचित्य ठहराने के लिये कोई भी कारण पर्याप्त नहीं था।

स्वच्छ पेयजल भी मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र, 29 जुलाई-(भाषा) संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ जल और सफाई को बुनियादी मानवाधिकार के तौर पर मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलिविया ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा। 122 देशों ने इसका अनुमोदन किया। 41 देश मतदान में शामिल नहीं हुए।

प्रस्ताव के मुताबिक, 'सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और सफाई बुनियाउदी मानवाधिकार है जो जीवन के अधिकार का उपयोग करने के लिए जरूरी है।' आँकड़ों के अनुसार, 88.4 करोड़ लोगों को फिलहाल स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता और 2.6 अरब से अधिक को बुनियादी साफ सफाई नसीब नहीं होती। हर साल करीब 15 लाख बच्चे पानी और गंदगी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं।

प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यह आह्वान भी किया गया है कि गरीब देशों को उनके प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ और किफायती पेयजल के प्रयासों में मदद के लिहाज से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अनेक विकासशील देशों ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, लेकिन कई विकसित देश इस आधार पर मतदान से नदारद रहे कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की वचनबद्धता होगी। मतदान में शामिल नहीं होने वाले अमेरिका की तरफ से राजनयिक जॉन एफ सेमिस ने कहा, 'यह प्रस्ताव पानी और सफाई के अधिकार की बात इस तरह से करता है जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं झलकाता।' चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्राजील जैसे देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन महासभा के किसी भी प्रस्ताव का सांकेतिक और नैतिक महत्व होता है।

चुनाव में धन की भूमिका पर नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग जारी करेगा दिशा-निर्देश

नई दिल्ली, 29 जुलाई-(भाषा) चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव सुधारों के तहत चुनावों में धन की भूमिका पर प्रक्रिया को कठोर बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी करेगा। इन कदमों में ऐसे राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त करने का भी प्रावधान होगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कल संभाल रहे एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि सरकार ने उसके समक्ष लंबित कुछ चुनाव सुधारों को शीघ्र अमली जामा पहनाने का संकेत दिया है। कुरैशी ने प्रेस ट्रस्ट को दिए गए साक्षात्कार में कहा, 'दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार है। अगस्त के अंत तक उन्हें पेश कर दिया जाएगा।'

चुनाव में काले धन के बड़ी भूमिका निभाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, 'हमें इसे कठोर बनाने की आवश्यकता है। अब हमने सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक अनुभवी अधिकारियों के विचार-विमर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित कर लिया है।' कुकुरमुत्ते की तरह नए राजनैतिक दलों के उग आने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल 1,100 से अधिक पार्टियाँ हैं और उसमें से सात राष्ट्रीय पार्टियाँ और 40 क्षेत्रीय दल हैं। शेष में से ज्यादातर की विश्वसनीयता संदिग्ध लगती है।

आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को और कदम उठाने की जरूरत : अमेरिका

वॉशिंगटन, 29 जुलाई-(भाषा) आतंकवाद के 'निर्यात' पर अंकुश लगाने के ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के आह्वान का समर्थन करते हुए अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने की दिशा में रणनीतिक बदलाव के बावजूद पाकिस्तान को और भी कदम उठाने की जरूरत है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसने पाकिस्तान को यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसे अपनी सीमाओं के अंदर और अफगान सरहद से लगे कबायली इलाकों में उग्रवादी तत्वों से निबटने में अपनी आक्रामकता बनाए रखनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पी.जे. क्राउले ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, 'हमारी साझी चिंता क्षेत्र में मौजूद आतंकवादियों के पनाहगाहों को उखाड़ फेंकने और नए पनाहगाहों को उभरने से रोकने की है, जो अमेरिका, यूरोप और विश्व के दूसरे हिस्से को खतरे में डाल सकते हैं।'

ओबामा को अब भी नहीं मिला न्यौता

न्यूयॉर्क, 29 जुलाई-(भाषा) अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी की शादी को मीडिया में दशक की शादी करार दिया जा रहा है। विवाह में दो दिन शेष रह गये हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अभी तक न्यौता नहीं मिला है, लगता है उन्हें बिन बुलाये मेहमानों वाले गुर सीखने पड़ेंगे।

एक टेलीविजन टॉक शो में ओबामा ने कहा कि बिल और हिलेरी क्लिंटन की बेटी के विवाह समारोह का न्यौता उन्हें अबतक नहीं मिला है।

दक्षिण मध्य रेलवे

शुद्धिपत्र

कृपया शुद्धिपत्र पर ध्यान दें

संदर्भ : निविदा सं. जी/ई.10, 11, 12 व 15/2010-11, दि. 14.07.2010, खोलने की नियत तिथि 23.08.2010 की निविदा सूचना सं. जी/ई. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व 17/2010-2011, दिनांक : 14.07.2010

I. गुण्टकल डिवीजन : गुण्टकल - वी.बी. नगर कॉलोनी में स्टाफ क्वार्टर्स टाइप- II व III -68 इकाईयों और साउथ कॉलोनी में टाइप- IV -12 इकाईयों की पुन: वायरिंग.

******

निविदा सं. व तिथि	इस प्रकार प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ें
जी.ई.10/ 2010-11,	मूल्य : रु. 27,40,523/-	मूल्य : रु. 26,72,183/-
दि. 14.07.2010	पूधरा : रु. 54,815/-	पूधरा : रु. 53,445/-

II. गुण्टकल डिवीजन : विधिवत विद्युतीय आपूर्ति व्यवस्थाओं को उन्नत करते हुए यात्री चहल-पहल क्षेत्रों में फैनेज को सुधार.

जी.ई.11/ 2010-11,	मूल्य : रु. 43,12,674/-	मूल्य : रु. 38,47,024/-
दि. 14.07.2010	पूधरा : रु. 86,255/-	पूधरा : रु. 76,945/-

III. गुण्टकल डिवीजन : निडीगल्लु, पातकोत्ताचेरुवु और नक्कनादोड्डी में स्टेशन इमारत और गुण्टकल में स्टोर्स शेड का विद्युतीकरण.

जी.ई.12/ 2010-11,	मूल्य : रु. 8,58,664	मूल्य : रु. 8,42,584/-
दि. 14.07.2010	पूधरा : रु. 17,175	पूधरा : रु. 16,855/-

IV. निविदा सं. जी/ई. 15/2010-11, दि. 14.07.2010. 'गुण्टकल डिवीजन : जीटीएल- डब्ल्यूडी (छोड़कर) अनुभाग - वे साइड स्टेशनों के प्लेटफार्म पर बैकअप सोलार लाइटिंग सिस्टम का प्रावधान', मूल्य : रु. 9,65,565/-, खोलने की नियत तिथि : 23.08.2010 को **'रद्द किया जाता है।'** सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हमारी वेबसाइट : **http://www.tenders.gov.in** देखें

पीयूबी/707/10 — वरि. मंडल विद्युतीय अभियंता (रखरखाव), गुण्टकल

सभी रेल पूछताछों के लिए 139 डॉयल करें

Osmania University College For Women (Autonomous) Koti, Hyderabad-500 095

Accredited (A)

P.G. Diploma in "CHEMICAL ANALYSIS & QUALITY ASSURANCE' (Self Financing)

Course Duration : 1 Year
Elgibility : Women Candidates with B.Sc Degree
Selection : As Per Merit in B.Sc Chemistry Optional Subject.
Sale Of Application : From 29.07.2010 to 12.08.2010
Last Date for Submission : On or before 12.08.2010
Spot Admission : 14.08.2010, 10.30 AM onwords
For details contact : Co-ordinator, Analytical Division,

O.U. COLLEGE FOR WOMEN, KOTI, HYDERABAD.

CONT;93463 77298 Sd/-Principal

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन

GHMC

कार्यकारी अभियन्ता-I, डिवी-I, एसजेड, जीएचएमसी

'ई' अधिप्राप्ण अल्पकालिन निविदा सूचना

'ई' अधिप्राप्ण प्लेटफार्म पर (1 नग मेटल आपूर्ति कार्य) के लिए प्रकाशित **एनआईटी सं. 12/ईई/डिवीजन-I/एसजेड/जीएचएमसी/2010-2011, दि. 29-07-2010**. विवरणों को www.tender.eprocurement.gov.in पर लॉग करके देख सकते हैं। कार्यक्रमों की तिथि नीचे विवरित है :

कार्यक्रम	क्र.सं. 01 के कार्य हेतु
आरम्भिक तिथि व समय	31/07/2010 को अपराह्न 02.00 बजे
डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	03/08/2010 को अपराह्न 03.00 बजे
बोलियों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि व समय	03/08/2010 को अपराह्न 04.30 बजे
मूल्य बोली खोलने की तिथि व समय	03/08/2010 को अपराह्न 05.00 बजे

संबद्ध अधिकारी का पता - श्री सैयद जहीर हाश्मी, कार्यकारी अभियन्ता, डिवीजन नं. I, दक्षिण क्षेत्र, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन। अधिक विवरणों को **www.tender.eprocurement.gov.in** पर ई-अधिप्राप्ण स्थल पर देख सकते हैं।

(No. 243/CPRS/GHMC/2010) — हस्ता/- **कार्यकारी अभियन्ता, डिवीजन नं. I, एसजेड, जीएचएमसी**

आंध्र प्रदेश सरकार
सड़क व भवन निर्माण विभाग

ई-अधिप्रापण सूचना

सं. डीबी/एचडी/13/2010-11, **दि. : 26-07-10**

कार्य का नाम व अनुमानित मूल्य (लाखों में रु.) : (आर एण्ड बी) डिवीजन, विकाराबाद में (आर एण्ड बी) सब-डिवीजन, विकाराबाद पर पेवर पैचेस के एक कार्य हेतु निविदा आमंत्रित हैं। **निविदाओं को प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि : 12-8-2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक** है। नियम व शर्तों के लिए कृपया www.`e'procurement.gov.in पर 'ई' प्रोक्यूरमेन्ट मार्केट प्लेस पर लॉग ऑन करें (या) कार्यालयीन अवधि में (आर एण्ड बी) डिवीजन कार्यालय से सम्पर्क करें।

(No. 1504) हस्ता/- **कार्यकारी अभियन्ता, (आर एण्ड बी) विकाराबाद**

आन्ध्र प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन (एनआरआई) विभाग

मेमो संख्या : 440/एनआरआई/ए2/2010, तिथि : 25-06-2010

मलेशिया में भारत से श्रमिकों के लिए मार्गदर्शन

मलेशिया में कोई वैध रोजगार लेने से पहले आप, कृपया मलेशिया के क़ानूनों और काम करने की परिस्थितियों स्वयं को अवगत कराइए। ये विवरण वेबसाइट www.mohr.gov.my पर पाए जा सकते हैं।

आपको कड़े शब्दों में सलाह दी जाती है कि मलेशिया में अवैध रूप से काम **न** करें, क्योंकि इससे गिरफ्तारी और भारी जुर्माना भी हो सकता है।

अगर आप भारत के नागरिक हैं और मलेशिया में वैध रोजगार की योजना बना रहे हैं तो, कृपया नीचे दी गयी सालाह को सावधानी से पढ़िए :-

1. अगर आप मलेशिया में वैध रोजगार लेने की योजना बना रहे हैं तो कृपया आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता है।

- आप सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके राज्य के क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी द्वारा जारी वैध भारतीय पासपोर्ट है। पासपोर्ट छ: महीनों की न्यूनतम अवधि के लिए वैध होना चाहिए।
- दिल्ली में मलेशियाई उच्च आयोग या चेन्नई या मुम्बई में काउन्सुलेट्स से स्टाम्प किया हुआ पासपोर्ट वैध वीजा होना चाहिए।
- सदैव अपने पासपोर्ट और वीजा की फोटो प्रति मौलिक दस्तावेज़ से पृथक रखिए।
- आपके पास भारत में पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा विधिवत सत्यापित आपके और आपके विदेशी नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित रोजगार ठेका की एक प्रति होनी चाहिए।
- केवल अंग्रेज़ी में रोज़गार ठेके की प्रति पर जोर दीजिए जो विधिवत रूप से लाइसेंस प्राप्त भर्ती ऐजेन्ट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

  आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भारत छोड़ने से पहले आपके पास मलेशिया में आपके नियोक्ता के सम्पर्क विवरण हों।
- **चेतावनी : अगर आपके पास उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज़ यानि वैध भारतीय पासपोर्ट, मलेशियाई उच्च आयुक्त / काउन्सुलेट से वैध रोजगार वीजा और रोजगार ठेका नहीं है तो आप मलेशिया में अवैध माने जाएँगे।**

  व्यक्तिगत उपयोगी दस्तावेज़/जानकारी :-
- भारत में किसी बैंक में बचत बैंक एनआरई खाता खोलिए ताकि आप मलेशिया से भुगतान को भेजने में समर्थ हो सकें।
- मलेशिया के स्थानीय श्रमिक क़ानूनों, कार्यशैली और रहने की शर्तों से परिचित हो जाएँ।
- निम्नलिखित के पूरे पते और सम्पर्क विवरण रखिए :-
  - (i) अपने पास रखिए भारतीय उच्च आयुक्त, कुआलालमपुर (पता : भारतीय उच्च आयुक्त नम्बर 2, जालान तमान दत्ता : कार्यालय जालान दत्ता, 50480 कुआलालमपुर, टेलीफोन 00-603-20933510/ 00-603-20959749 फैक्स : 00-603-20922752)
  - (ii) मलेशियाई श्रम विभाग हॉट लाइन : 00-603-88391111, 88865135
  - (iii) मलेशियाई इम्मीग्रेशन विभाग संचालन रूम 00-603-8880555/56

चेतावनी :

- (iv) वैध पासपोर्ट, वैध वीजा और, रोजगार ठेके के बिना भारत न छोड़ें
- (v) यह सुनिश्चित करें कि अपने साथ कोई नार्कोटिक्स या वर्जित सामान लेकर न जाएँ। नशीली वस्तुओं को साथ में रखना गंभीर अपराध है जिसकी सजा जेल या मौत होगी।
- (vi) मलेशिया की यात्रा करते समय किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी पार्सल स्वीकार न करें। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पार्सल ले जाना पड़े जिस आप पहले से जानते हैं तो उसे पूरी तरह से जाँच लें कि कहीं उसमें शराब या नार्कोटिक्स तो नहीं है। अन्यथा मलेशिया में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

मलेशिया में आगमन होने पर :

- निवास अनुमति या परिचय पत्र, श्रमिक कार्ड प्राप्त कीजिए
- किसी अनजान व्यक्ति को, भारत में आपके द्वारा हस्ताक्षरित रोजगार ठेका की प्रति और पासपोर्ट न दें। अगर आपका नियोक्ता आपका पासपोर्ट लेता है तो यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी फोटो प्रति सदैव आपके पास रहे।
- मलेशिया में अपने प्रवास के दौरान कोई अन्य रोजगार ठेका या खाली पत्र पर हस्ताक्षर न करें।
- हड़ताल न करें और आंदोलन न करें। स्थानीय श्रमिक क़ानून के अन्तर्गत ये गैर-क़ानूनी हैं। आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जेल भेजे जा सकते हैं और निर्वासित भी किए जा सकते हैं।
- भुगतान नहीं करने या वेतन का विलंब से भुगतान करने या मुआवजों या कोई अन्य समस्या के बारे में कुआलालमपुर में भारतीय उच्च आयोग के पास शिकायत करें।

  महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए :-
- **अपने पासपोर्ट और वीजा के सभी पृष्ठों की फोटोकापी** सदैव अपने साथ रखें (मौलिक पासपोर्ट से हटकर)।
- अगर आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो तुरन्त ही भारतीय उच्च आयुक्त को सूचित कर विवरण दें यानि पासपोर्ट नम्बर, जारी करने की तिथि और स्थान, आपका नाम और रोजगार के देश में प्रवेश की तिथि। आप ये विवरण तभी दे सकते हैं जब आपके पासपोर्ट की प्रति आपके पास हो।
- रोजगार ठेके की अपनी प्रति को मत खोइए/ उसकी प्रति सदैव अपने पास रखें
- **भारत में अपने परिवार के सदस्यों** व और आपके भारतीय एजेन्ट के **सम्पर्क विवरण और टेलीफोन नंबर जतन से रखें,** ताकि किसी भी आपातकाल में आप उनसे सम्पर्क कर सकें।
- मलेशिया जाने से पहले आप भारत में अपने परिजनों को कृपया अपने पासपोर्ट, रोजगार ठेका, भारतीय भर्ती एजेंट और मलेशियाई नियोक्ता से सम्पर्क विवरणों की फोटोकॉपी दें। मलेशिया में रहते समय इसके गुम होने की स्थिति में यह महत्वपूर्ण होता है।
- भारत छोड़ने से पहले आपके पास अपने नियोक्ता का पूरा नाम, पता और टेलीफोन / फैक्स नम्बर होना चाहिए।
- अगर आप मलेशिया में आने के बाद, अपने विदेशी नियोक्ता का स्थान ढूंढ नहीं सके तो तुरन्त भारतीय उच्च आयुक्त से सम्पर्क करें।
- मलेशिया में प्रायोजित करने वाली एजेन्सी या कम्पनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/प्रतिष्ठान से स्थायी या अस्थायी, रोजगार के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार न करें। ऐसा करने से दण्डित होना पड़ेगा।
- समाप्त होने से पहले अपने वीजा/ रोजगार ठेके को नवीनीकृत कराइए। अगर आप छुट्टी पर भारत लौट रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके मलेशिया वापस जाने से पहले आपके वीजा की अवधि न समाप्त हो।
- सदैव सुनिश्चित कर लें कि आपका पासपोर्ट वैध है। उसकी अवधि बीतने से पहले कम से कम दो महीने पहले उसे भारतीय उच्च आयुक्त, कुआलालम्पुर या भारत में क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी (आरपीओ) से नवीनीकृत करवाइए।

मलेशिया में काम करने की शर्तें :-

- मलेशिया आने से पहले आपको मलेशिया में कार्यरत या हाल में ही मलेशिया में जिन्होंने कार्य किया है ऐसे लोगों से मलेशिया में रहने की शर्तों और काम करने की शर्तों के बारे में बात करनी चाहिए।
- पूर्व कल्पित विचार के साथ मलेशिया मत आइए और आपकी कल्पना के समान बात नहीं हो रही हो तो वहाँ से लौटने के लिए तैयार रहिए।
- जब तक प्रयोजक सहयोग न करे, तब तक भारत में लौटने के लिए वीजा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है और आपको मलेशिया से निकलने के लिए लंबी कानूनी लड़नी पड़ सकती है/ निर्वासन केन्द्र/ जेल में रहना पड़ सकता है।
- नियोक्ता से विवाद होने के मामले में, इससे पहले कि नियोक्ता यह घोषणा करे कि आप कार्य स्थल से लापता हो गए हैं, कृपया उच्च आयोग से फोन पर बात करने के बाद समीपस्थ पुलिस स्टेशन/ लेबर ऑफिस से सम्पर्क करें (अगर आप हाल ही में मलेशिया में आए हैं तो अपने भर्ती एजेंट)।
- मलेशिया में कर्मियों की हड़ताल अवैध मानी जाती है।
- मलेशिया में आपके आगमन पर मलेशिया में रहने वाले मित्रों/ संबंधियों के सम्पर्क नम्बर, भारत/ मलेशिया में भर्ती एजेन्ट (नाम, पूरा पता, टेली/फैक्स नम्बर) और प्रायोजक/ कम्पनी के विवरणों, आपके पासपोर्ट की प्रति। यह सलाह दी जाती है कि मलेशिया की यात्रा आरंभ करने से पहले भारत में अपने परिवार के पास भी इन सभी विवरणों की एक प्रति छोड़ें।
- मलेशिया में आगमन के तुरन्त बाद, आपको भारत में अपने परिवार को मलेशिया में पूरा आवासीय पता, सम्पर्क नम्बर देना चाहिए।
- इन सभी की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको केवल आपके भर्ती एजेन्ट की बातों के आधार पर मलेशिया नहीं आना चाहिए।

मलेशिया में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा जनहित में जारी। एन.वी. रमणा रेड्डी
स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट (प्रोटोकाल)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

पूर्व-योग्यता निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से **कार्यकारी अभियंता (इ), हैदराबाद सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नं. I सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, सुलतान बाजार, हैदराबाद - 500095 (टेली फैक्स नं. : (040) 24657854)** द्वारा नीचे उल्लेख किए गए कार्य के लिए पूर्व योग्यता के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

(अ) समानान्तर जल उपचार प्रणाली कार्य में विशेषज्ञता वाले फर्म।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य	धरोहर राशि	दिया गया समय
01	**इंग्लिश एण्ड फॉरीन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, तारनाका, हैदराबाद में रिवर्स आस्मोसिस वाटर ट्रीटमेन्ट यूनिटों की व्यवस्था।**	**रु. 37,00,000/- (अनुमानत:)**	**रु. 74,000/- (अनुमानत:)**	**3 (तीन) माह**

1. समानान्तर कार्यों में विशेषज्ञता वाले फर्म (उपरोक्त ''अ'' में उल्लेख अनुसार) निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मापदंड को पूरा करना होगा :-

   वर्ष 2010 के जून महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान नीचे उल्लेख अनुसार कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करना होगा।

(अ) **रु. 22.20 लाख** से कम न होने वाले मूल्य के दो समानान्तर पूरे किए गए कार्य।

या

(आ) **रु. 29.50 लाख** से कम न होने वाले मूल्य का एक समानान्तर पूरा किया गया कार्य।

और

(इ) किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ क्रियान्वित किया हुआ **रु. 22.20 लाख** से कम न होने वाले मूल्य का समानान्तर स्वभाव का एक कार्य (या तो भाग (1) (अ) उपरोक्त या पृथक एक).

समानान्तर कार्य का मतलब है 'असेसरीज और प्लम्बिंग के साथ रिवर्स अस्मोसिस वॉटर ट्रीटमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था' का कार्य.

क्रियान्वित कार्यों का मूल्य कार्य को पूरा करने की तिथि से पूर्व-योग्यता आवेदन को प्राप्त करने की तिथि तक आंके गए अनुसार, प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की सरल दर पर कार्य के वास्तविक मूल्य को बढाते हुए जारी स्तर तक लाना होगा।

ई) **30-06-2009** के बाद **रु. 14.80 लाख** हेतु राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी सम्पन्नता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

उ) आवेदन के साथ गजीटेड ऑफिसर द्वारा विधिवत प्रमाणित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष रैंक के क्लाइन्ट विभाग के अधिकारी द्वारा जारी पूरा करने का प्रमाणपत्र।

पूर्णता प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा :

vii. कार्य पूरा करने की तिथि, viii. कार्य का स्वभाव

ix. यह कि कार्य संतोषजनक रूप से पूरा किया गया, iv. पूरे किये गये कार्य का मूल्य

2. ऊपर निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को संलग्न किये बिना प्राप्त फर्मों के आवेदनों पर उनके योग्यता मापदंड के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं होगा।

3. उपरोक्त **पैरा 1, 2 और 3** में उल्लेख अनुसार उपरोक्त पूर्व-योग्यता मापदंड के पक्ष में निर्धारित दस्तावेजों द्वारा समर्थित पूर्व-योग्यता के लिए आवेदन को मुहरबंद लिफाफे में रखकर उस पर बड़े अक्षरों में कार्य का नाम और खोलने की नियत तिथि लिखकर जमा करना होगा। आवेदन **10-08-2010 को अपराह्न 3.00 बजे** तक प्राप्त किये जाएँगे और उन्हें कार्यकारी अभियन्ता (इ), एचसीईडी-I सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके कार्यालय में उसी दिन **अपराह्न 3.30 बजे** खोला जाएगा। तकनीकी बोली/वित्तीय बोली को खोलने की तिथि और समय पूर्व-योग्यता वाले फर्मों/ठेकेदारों को बाद की तिथि में सूचित किया जाएगा।

4. विभाग के पास अधिकार है कि कोई भी तत्संबंधी कारण बताए बिना कोई भी सम्भावित आवेदन को अस्वीकार करें और उनके द्वारा योग्य पाए जाने वाले किसी संख्या तक योग्य ठेकेदारों की सूची को सीमित करें, अगर मापदंड को संतुष्ट करने वाली अधिक बोलियाँ प्राप्त होती हैं तो।

5. **पूर्व-अर्हता सूचना को वेबसाइट** www.tenderhome.com **और** http://www.cpwdsr.tn.nic.in **में भी देखा जा सकता है।**

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यकारी अभियंता, एनआईएसए-परियोजना डिवीजन, केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी., हैदराबाद-95 द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के अनुमोदित और योग्य ठेकेदारों एवं एमईएस, रेलवे, दूरसंचार विभाग (सिविल) और आं.प्र. राज्य पीडब्ल्यूडी की उपयुक्त सूची पर होने वाले ठेकेदारों और कार्य अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ एजेन्सियों से नीचे विवरित अनुसार तीन लिफाफा प्रणाली (नीचे टिप्पणी 2 देखें) में पीडब्ल्यूडी-8 पर दि. **13-08-2010 को अपराह्न 3.00 बजे** तक मुहरबन्द मद मूल्य निविदाएँ आमंत्रित हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु-मानित मूल्य (रु.)	पूर्व धरोहर राशि (रु.)	दिया गया समय	आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय	निविदाओं को जारी करने की अंतिम तिथि	निविदाओं को खोलने की तिथि व समय
1.	**एनआईटी सं. 20/ईई/एनआईएसएपीडी/2010-11.** बंड्लागुडा, हैदराबाद में जीएसआई के लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण। एसएच : 20.00 मी. स्टेजिंग के साथ 50,000 लीटर ओएचटी और 1,00,000 लीटर यूजी सम्प और पम्प हाउस का निर्माण।	20,56,013/-	41,120/-	6 माह	09-08-10 को अपराह्न 4.00 बजे तक	11-08-10 को सायं 5.00 बजे तक	13-08-10 को अपराह्न 3.30 बजे

1. निविदा अनुसूची का मूल्य रु. 573/- (रु. 500 + 14.5% वैट) **(अप्रत्यर्पणीय)** है।
2. नकद छोडकर उपयुक्त प्रारूप में पूर्व धरोहर राशि को एक मुहरबंद लिफाफे में रखना होगा जिस पर **'धरोहर राशि'** अंकित करना होगा और निविदा को पृथक लिफाफे में बडे अक्षरों में **'निविदा'** लिखकर रखना होगा। दोनों लिफाफों को एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में रखकर, कार्य का नाम, खोलने की नियत तिथि लिफाफे पर लिखकर जमा करना होगा।
3. यह निविदा सूचना वेबसाइट **www.cpwdsr.tn.nic.in** या **www.tenderhome.com** पर भी देखी जा सकती है।
4. योग्य ठेकेदार और विशेषज्ञ एजेंसियों को निविदाएँ जारी की जाएँगी, बशर्ते वह जून - 2010 के अंतिम दिन को समाप्त पिछले सात वर्षों में एक समानान्तर कार्य को संतोषजनक रूप से पूरा करने के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, जो सक्षम प्राधिकारी को सन्तुष्ट करता हो।
5. समानान्तर कार्य अर्थात "20 मी. स्वतंत्र स्टेजिंग के साथ 50,000 लीटर के आरसीसी ओएचटी का निर्माण।"

हस्ता/- **कार्यकारी अभियन्ता, एनआईएसएपीडी, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद**

मध्य रेलवे

निविदा सं. : एसडीबी/एच/सफाई/ठेका/08/10-11 — सीनियर डीएमओ कार्यालय/वाडी, दिनांक 27-07-2010

निविदा सूचना

सीनियर डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर पॉलिक्लीनिक मध्य रेलवे, वाडी द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए प्रतिष्ठित उद्यमों/ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित हैं।

क्र.सं.	विवरण	
1.	कार्य का नाम उसके स्थान के साथ	एक वर्ष 2010-2011 के लिए प्रतिदिन के आधार पर रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टेशन शाहबाद से कचरा और कूडा करकट के संग्रहण और निपटान के लिए सफाई ठेका (39 नग कचरा पेटी)
2.	कार्य का अनुमानित मूल्य	1,55,880/- (केवल एक लाख पचपन हजार आठ सौ अस्सी लाख)
3.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	1,000/- (एक हजार मात्र) अप्रत्यर्पणीय
4.	कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है	सीनियर डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर पॉलिक्लीकि मध्य रेलवे, वाडी
5.	जमा की जाने वाली धरोहर राशि	3,120/- (तीन हजार एक सौ बीस मात्र)
6.	कार्य पूरा करने की अवधि	एक वर्ष 2010-2011 (आवंटन की तिथि से)
7.	निविदा जमा करने की तिथि और समय	01-09-2010 को मध्याह्न 12-00 बजे
8.	निविदा खोलने की तिथि और समय	01-09-2010 को मध्याह्न 12-30 बजे
9.	प्रपत्र खरीदने के लिए तिथि व समय	01-09-2010 को प्रात: 11-00 बजे
10.	वेबसाइट विवरण और सूचना फलक का स्थान जहाँ निविदा के सम्पूर्ण विवरणों को देखा जा सकता है	डॉ. कोटनीस स्मारक, मध्य रेलवे अस्पताल, शोलापुर, http://tenders.gov.in

(AAL - S/51) **सीनियर डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर वाडी, मध्य रेलवे**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ